पत्र संख्या–वि0व0 संग्रह / (2021–2022)/ 310 /वाणिज्यकर,

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(संग्रह अनुभाग)

लखनऊः दिनांक 23, जुलाई, 2021

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2 (अपील), लखनऊ।

कृपया मुख्यालय के पत्र संख्या–वि0व0संग्रह– ब्याज माफी योजना–2021 /2021–22/262, दिनांक 07 जुलाई, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा योजना के सफल कियान्वयन एवं व्यापारियों को अधिकाधिक लाभ प्रदान करने हेतु मुख्यालय के परिपत्र सं0–894/2021050 दिनांक 04.03.2021 में विहित कार्य योजना के विस्तृत बिन्दुओं पर सघन/समयबद्ध अनुश्रवण करते हुए उक्त योजना में अधिकाधिक व्यापारियों की सहभागिता सुनिश्चित कराने के साथ ही योजना के अन्तर्गत अधिकतम राजस्व जमा कराये जाने के निर्देश मुख्यालय स्तर से प्रदत्त हैं। उक्त निर्देशों के बावजूद भी दिनांक 23.07.2021 तक कुल जमा धनराशि मात्र रु0 44.19 करोड है जो निर्धारित लक्ष्य का मात्र 14.25 प्रतिशत है,जबकि आप अवगत हैं कि सन्दर्भित योजना की समाप्ति अवधि 02.09.2021 ही है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रदेश सरकार द्वारा चलायी जा रही उक्त योजना की शत–प्रतिशत सफलता हेतु आप द्वारा प्रभावी कियान्वयन नहीं किया जा रहा हैं और आपका अपने अधीनस्थ अधिकारियों /कर्मचारियों को प्रभावी दिशा निर्देशन प्राप्त नही हो रहा है। जिसके कारण यह स्थिति उत्पन्न हो रही है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती हैं कि प्रदेश सरकार द्वारा जारी उक्त योजना की शत–प्रतिशत सफलता सुनिश्चित किये जाने हेतु अपने स्तर से मुख्यालय द्वारा जारी परिपत्र सं0 894/2021050 दिनांक 04.03.2021 के कम में विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही कराते हुए अधिकाधिक जमा सुनिश्चित करायें तथा बिन्दुवार प्रगति तथा कृत कार्यवाही से संग्रह अनुभाग मुख्यालय को भी अवगत करायें। उक्त कार्य में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों /कर्मचारियों के प्रति प्रतिकूल दृष्टिकोण अपनाया जायेगा, जिसके लिये वे स्वयं उत्तरदायी होगें।

23.7.2021

(सुनील कुमार राय)
एडीशनल कमिश्नर, (विधि) वाणिज्य कर
मुख्यालय, लखनऊ।

पृ0प0सं0 व दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि– समस्त ज्वा0कमि0 (कार्य0/कारपो0) वा0क0, समस्त डि0कमि0 (क0नि0/क0व0), समस्त असि0कमि0/वाणिज्य कर अधिकारी (क0नि0) एवं समस्त संग्रह अधीक्षक/पर्यवेक्षक/अमीन को जोनल एडी0कमि0 के कार्यालय के माध्यम से।

2. श्री सुरेश चन्द्र सिह, असि0कमि (मनोरंजन कर), जवाहर भवन, लखनऊ को उक्त के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

23/07/2021

ज्वाइंट कमिश्नर (संग्रह) वाणिज्य कर
मुख्यालय,लखनऊ।